2022/160

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर, रानी मुकाम रानी

अनवान दिनेश कुमार बनाम राज. सरकार जरिए तहसीलदार रानी

किस्म मुकदमा – राजस्व विविध नम्बर 04 सन् 2022

तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए है
16/12/2022	प्रार्थी श्री दिनेश कुमार पुत्र हरीराम जाति सालवी निवासी सादडी तहसील देसूरी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद ग्राम गुडा रामाजी पटवार मण्डल केरली के खसरा नम्बर 15 व 16 की भूमि के ऑनलाईन सेग्रीगेशन के दौरान नक्शा तरमीम के खसरा नम्बर 15 की जगह खसरा नम्बर 16 दर्ज हो गया तथा खसरा नम्बर 16 की जगह खसरा नम्बर 15 दर्ज हो गया है जो गलत है। पुराने रिकार्ड व नक्शा लट्ठा में सही दर्ज है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर सही दर्ज है लेकिन नक्शा में खसरा की संख्या गलत दर्ज हुई है जिसे दुरस्त करना आवश्यक है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार रानी की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रानी के पत्रांक/भू.अ/2022/3842 दिनांक 15.11.2022 द्वारा पटवारी हल्का व भू.अ.नि घेनडी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी ग्राम गुडा रामाजी संवत 2075–78 के अनुसार खसरा नम्बर 15 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 16 रकबा 2.3100 हैक्टेयर बारानी प्रथम भूमि प्रार्थी दिनेश कुमार पुत्र हरीराम जाति सालवी साकिन सादडी खातेदार दर्ज है। भू.अ.नि घेनडी की रिपोर्ट अनुसार नकल नक्शा लटठा अनुसार खसरा नम्बर 15 व 16 की तरमीम सही है। नकल नक्शा सीट अनुसार खसरा नम्बर 15 की जगह खसरा नम्बर 16 व खसरा नम्बर 16 की जगह खसरा नम्बर 15 दर्ज है जो अशुद्व है। भू.अ.नि की मौका फर्द में दर्शाये नजरी नक्शा में नक्शा लट्ठा में की गई तरमीम अनुसार शुद्व करने की अभिशषा की गई है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार रानी की जॉच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार ग्राम गुडा रामाजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज इन्द्राज सही है। लेकिन नक्शा शीट अनुसार खसरा नम्बर 16 की जगह खसरा नम्बर 15 व खसरा नम्बर 15 की जगह खसरा नम्बर 16 लिखा है जिसे अशुद्व होने से शुद्विकरण हेतु अभिशंषा की गई है। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज करने योग्य होने से इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रानी की जॉच रिपोर्ट के तथ्यो अनुसार पटवार मण्डल केरली के राजस्व रिकार्ड गुडा रामाजी की जमाबंदी सवत 2075–78 के अनुसार खसरा नम्बर 15 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म गै.मु व खसरा नम्बर 16 रकबा 2.3100 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.3200 हैक्टेयर भूमि दिनेश कुमार पुत्र हरीराम जाति सालवी साकिन सादडी के नाम दर्ज कृषि भूमि के नक्शा शीट में अंकित अनुसार (नक्शा ट्रेस माफिक खसरा नम्बर 16) का सही इन्द्राज दुरूस्त करने तथा खसरा नम्बर 15 के [illegible] का उक्त नक्शाशीट में त्रुटीपूर्ण इन्द्राज होने से इसे [illegible] उचित है। जिसकी अभिशंषा त[illegible] अतएव तहसील रानी के पटवा[illegible] केरली के ग्रा[illegible] रामाजी के खातेदारी खसरा नम्बर [illegible]	(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subodh Singh Charan
Date: 2022.12.22 19:04:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

खसरा 02 कुल रकबा 2.3200 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के अनुसार खातेदार दिनेश कुमार पुत्र हरीराम जाति सालवी साकिन सादडी के नाम दर्ज है, उक्त भूमि नक्शा शीट में लाल स्याही से दर्ज स्थान पर खसरा नम्बर 15 का शुद्व इन्द्राज (प्रपत्र अ में दर्शाए अनुसार) दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्तीकरण के आदेश दिये जाते है। प्रपत्र अ को इस आदेश का भाग माना जावे। माफिक आदेश पालना हेतु तहसीलदार रानी को इस आदेश मय प्रपत्र अ की प्रतिलिपि पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार रानी माफिक आदेश नक्शा शीट में माफिक आदेश इन्द्राज दुरूस्तीकरण कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। बाद पालना पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Subodh Singh Charan
Date: 2022.12.22 19:04:51 IST
Reason: SelfAttested